

an>

Title: Need to fill up vacancies in Central University of Allahabad.

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदरूँ) : अध्यक्ष महोदया, मैं भारत सरकार और विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ और अहसास भी करना चाहता हूँ कि देश के कुछ प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो कि सन् 1887 में स्थापित हुआ था। पूरब का ऑक्सफोर्ड माना जाने वाला यह विश्वविद्यालय है, जिसके बारे में हम लंबी चर्चा नहीं करेंगे। देश का कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा पद, कोई ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान नहीं है, जिस स्थान को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकले लोगों ने सुशोभित न किया हो। मुझे जानकारी है, अहसास है, क्योंकि मैं वहाँ का छात्र रहा हूँ कि 70, 80 एवं 90 के दशक से लगातार इलाहाबाद के लोगों ने उम्मीद लगायी थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए और वह सन् 2005 में जाकर केंद्रीय विश्वविद्यालय बना।

जब वर्ष 2005 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी बनी तो लोगों को उम्मीदें थीं कि शायद इस यूनिवर्सिटी में कुछ बेहतर होगा, अभी जहाँ पर यूनिवर्सिटी खड़ी है, उससे कई गुणा बेहतर स्थिति में खड़ी होगी। आपको अफसोस होगा इस बात को जानकर कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी होने के बाद उसकी क्या दुर्दशा हुई। माननीय मंत्री जी अभी आपके राज्य मंत्री जी से मेरी व्यक्तिगत चर्चा हुई, मैंने उनको अवगत भी कराया और आपको भी मैं इस सदन व अध्यक्ष जी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज की तारीख में वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, फाइनेंस अफसर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर से लेकर सोलह पद, जो ऊपर के टॉप पद हैं, वे पूरी तरह से खाली हैं और वे अस्थायी लोगों द्वारा चार्ज पर चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ पूरी प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए तकरीबन ग्रुप ए में 38, ग्रुप बी में 14, ग्रुप सी में 238 पद अभी रिक्त पड़े हैं।

महोदया, अगर विश्वविद्यालय की फैकल्टी की बात करेंगे, प्रोफेसर्स की बात करेंगे तो कुल स्वीकृत 852 पदों में से 534 पद इस समय खाली हैं। अगर हम एक-दो विभागों का उदाहरण देंगे तो राजनीतिक विभाग के 27 पदों में से 15 पद खाली हैं। संस्कृत विभाग के 28 पदों में से 22 पद खाली हैं। इस तरह से एक नहीं, कई तरह की इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अन्दर अराजकताएं हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अन्दर इस समय वर्तमान में जो वहाँ की छात्र संघ की अध्यक्ष हैं, वे *से* समझता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गठन के बाद वह पहली महिला अध्यक्ष हैं, पहली महिला अध्यक्ष के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अन्दर इस कदर अपमानजनक व्यवहार हो रहा है।... (व्यवधान)

महोदया, आप महिला हैं, आपके राज में महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए।

श्री धर्मेन्द्र यादव : महोदया, आप एक मिनट सुनिए। आपके राज में भी अगर महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या होगा?... (व्यवधान) मंत्री जी, हम आपको भी सुनेंगे।... (व्यवधान) इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पुणेन एडवाइजरी बोर्ड... (व्यवधान) एक मिनट महिलाओं की बात सुन लीजिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सुन रही हूँ।

श्री धर्मेन्द्र यादव : आप लोग सुन लीजिए, विन्ता मत कीजिए।... (व्यवधान) इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुणेन एडवाइजरी बोर्ड की अध्यक्ष *से* हैं। उन्होंने वाइस चांसलर साहब को पत्र लिखा है, वह पत्र उन्होंने इसलिए लिखा है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष को वहाँ के रजिस्ट्रार की ओर से नोटिस दिया गया है। नोटिस इसलिए दिया गया है कि उन्होंने एक माननीय सदस्य, वे अपने सदन के ही सदस्य हैं, उन्होंने उनका कार्यक्रम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं होने दिया, इसलिए उनको नोटिस दे दिया गया। उसके बाद जो महिला एडवाइजरी बोर्ड है।

माननीय अध्यक्ष : एक समय में इतनी सारी समस्याएं हैं।

श्री धर्मेन्द्र यादव : महोदया, एक मिनट सुन लीजिए। अगर *से* की बात आप नहीं सुनेंगी तो कोई नहीं सुनेगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए।

से (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : आप लोग सुन लीजिए, हम लोग मंत्री जी का जवाब भी सुनेंगे।... (व्यवधान)

महोदया, उन्होंने कहा कि तथ्यों के आलोक से स्पष्ट है कि 19 नवम्बर की रात में वहाँ उपस्थित छात्रों को बुरी तरह अपमानित करने की स्थिति पैदा की गई। माननीय मंत्री जी यह मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ की पुणेन एडवाइजरी बोर्ड की अध्यक्ष *से* ने वाइस चांसलर साहब को पत्र लिखा है।

माननीय अध्यक्ष : उनका नाम नहीं जाएगा। किसी का नाम नहीं जाएगा। केवल अध्यक्ष, इतना ही ठीक है।

आप बोलिए। शून्यकाल में इतना सारा भाषण नहीं देते हैं।

श्री धर्मेन्द्र यादव : महोदया, सुन लीजिए, यह महिलाओं की बात है। ठीक है, मान लिया शून्यकाल है। ये लोग इतने दिन से चलने नहीं दे रहे थे।

महोदया, वहाँ की महिला एडवाइजरी बोर्ड की अध्यक्ष ने कहा है कि छात्र संघ की अध्यक्ष *से* के साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपील करूँगा कि बहुत उम्मीदें हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों को और सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी होने से, लेकिन सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी होने के बाद न वहाँ कोई डॉस्टल बना है, न वहाँ कोई आधारभूत ढाँचे में परिवर्तन हुआ, बल्कि आए दिन नित नए घोटाले सामने आ रहे हैं। उन घाटलों की जाँच समितियों की रिपोर्ट नहीं आ रही है। अगर रिपोर्ट भी आती होगी तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई।

महोदया, मैं कोई राजनीतिक भाषा के लिए नहीं, मेरा उस विश्वविद्यालय के साथ दिली लगाव है, भावनात्मक रिश्ता है। मैं समझता हूँ कि जो भी संवेदनशील व्यक्ति होगा, उसका अपने शिक्षण संस्थान और माँ संस्था के साथ यही रिश्ता होना चाहिए, जो मेरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ है। इसलिए माननीय मंत्री जी मैं आपसे अपील करूँगा कि सुधारिए, मैं कोई आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हूँ कि इन चीजों को, इन परिस्थितियों को, इन तथ्यों का संज्ञान लीजिए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो गौरवशाली परम्परा है और जो इलाहाबाद के लोगों को उम्मीद है, उस गौरवशाली परम्परा को पुनः बहाल कीजिए। यह हमारी आपसे अपील है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : ये तुरन्त संज्ञान ले रही हैं।

श्री अजय मिश्रा देवी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री धर्मेन्द्र यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी) : महोदया, मैं आदरणीय सांसद के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जितनी भी चुनौतियाँ हैं, जो एक निरन्तर प्रक्रिया की वजह से आज उनके मुख से इस सदन में प्रकटित हुई हैं, उसमें बदलाव लाने की, सुधार लाने की सम्भावना और इच्छा और यह संकल्प उन्होंने हमारी सरकार में देखा है। मैं यह भी कहना चाहूँगी कि विश्वविद्यालय का नियम ऐसा है कि जब तक स्थायी रूप से वाइस चांसलर न हों, तब तक कानून यह कहता है कि इंवांज वी.सी. वहाँ पर स्थापित किये जायें। कानून की मर्यादा में रहकर यह प्रक्रिया, यह ढांचा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चल रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जी के सम्मुख इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को विनिहत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जैसे ही महामहिम राष्ट्रपति जी हमें आदेश देंगे, विधिवत् वाइस चांसलर की स्थापना होगी और साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स को किसके सुपुर्द करना है अथवा किसको वह जिम्मेदारी देनी है, वह उस वाइस चांसलर के अधिकार के अन्तर्गत आएगा।

जहां तक कि महिला छात्र के बारे में उल्लेख किया गया है तो मैं आदरणीय सांसद से कहना चाहूंगी कि कुछ छात्र एम.एच.आर.डी. के कार्यालय के बाहर कुछ दिन पहले, लगभग 2-3 सप्ताह पहले किसी विषय को लेकर आये थे। बार-बार घोषणाओं में सुना गया कि ऋचा सिंह जी भी वहां पढ़ाती हैं। मैंने स्वयं सार्वजनिक तौर पर, उस वक्त मीडिया के बन्धु भी उपस्थित थे, लाइव कैमरा के माध्यम से राष्ट्र के सामने प्रस्तुत हुआ था, बार-बार गुहार लगाई कि छात्रों के मध्य में अगर ऋचा सिंह जी हैं तो वे आये, मुझसे वार्तालाप करें। वे वहां नहीं थीं। घोषणाएं थीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वे वहां पर नहीं थीं। वाइस चांसलर जी के स्थापित होने के बाद मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं, उन्हें भरा जायेगा। जितनी भी चुनौतियां विश्वविद्यालय के सामने हैं, उन्हें एड्रेस किया जायेगा। यह भी सही है कि डिपार्टमेंटवाइज जो वेकेंसीज़ का उल्लेख सांसद महोदय कर रहे हैं, वे वेकेंसीज़ मात्र एक साल में उत्पन्न नहीं हुई हैं। यह धरोहर है, जो पिछली सरकार से हमें प्राप्त हुई है... (व्यवधान) हमें पूर्ण विश्वास है, मेरा सांसद जी से आग्रह है कि उन्होंने जो विश्वास हममें प्रकट किया है (व्यवधान) हम सुधार ही रहे हैं। आप महिला की बात कर रहे हैं तो महिला की बात भी तो सुन लीजिए, बैठ जाइये। आप आक्रोशित मत होइये, क्योंकि महिलाओं की बात कर रहे हैं तो इसलिए जब महिला बोल रही है तो सुनने का साहस भी रखिये।

मेरा विश्वास है कि जो विश्वास उन्होंने हममें व्यक्त किया है, उस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे और 60 साल में जो विश्वविद्यालय का उत्थान नहीं हुआ, वह इस सरकार के नेतृत्व में निश्चित रूप से होगा।

माननीय अध्यक्ष : यह पहली बार हो रहा है कि आप शून्य काल में मामला उठा रहे हो और तीन-तीन मंत्री जवाब दे रहे हैं।

डॉ. संजय जायसवाल।